मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

चिन्ता से मुक्ति

संख्याःए–49/13/5/2012–रा.भा. दिनांक 2 जनवरी, 2014

परिपत्र

विषयः– दिनांक 17.12.2013 को बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न क.रा.बी.निगम मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 145वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त ।

बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2013 को आयोजित क.रा.बी.निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के मसौदा कार्यवृत्त की एक प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा)

सेवा में,

1. मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य ।
2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, ए–4149, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
4. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली–110023
5. बीमा आयुक्त (रा. प्र. अ.)/सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/संयुक्त निदेशक(प्रभारी), क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय/प्रभागीय कार्यालय/निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा ।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक–क.रा.बी.अस्पताल ।
7. उप निदेशक(राजभाषा),केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110066
8. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में डालने हेतु ।

C:\Users\ESICHQ\Desktop\rajbhasha\hindi minutes.doc

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन.....
Website Contents Management.....
डायरी सं./Diary No. 105
दिनांक/Date 16/01/14

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 145वीं बैठक का मसौदा कार्यवृत्त ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 145वीं बैठक श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 17.12.2013, बुधवार को अपराह्न 4.00 बजे मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई । इसमें निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुए :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम/पदनाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री)	
1.	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त (भर्ती)	अध्यक्ष
2.	स्वदेश कुमार गर्ग, अपर आयुक्त (प्रणाली)	सदस्य
4.	ए.एस.मीरान, अपर आयुक्त (वित्त)	सदस्य
5.	डॉ. पवन कुमार, उप चिकित्सा आयुक्त (भारतीय चिकित्सा पद्धति)	सदस्य
6.	हरबीर सिंह, निदेशक (सतर्कता)	सदस्य
7.	संजय कुमार सिन्हा, निदेशक (स्थापना 3 एवं 4)	सदस्य
8.	टी. टी. एम. ताराकन, संयुक्त निदेशक (स्थापना–5)	सदस्य
9.	आर. एस. चौहान, संयुक्त निदेशक (वित्त)	सदस्य
10.	राम प्रसाद, उप निदेशक, (लेखा–8)	प्रतिनिधि
11.	अजय कुमार, उप निदेशक (विधि)	प्रतिनिधि
12.	हीरा सिंह, उप निदेशक, (हितलाभ–1)	प्रतिनिधि
13.	आशुतोष गिरि, सहायक निदेशक (प्रबंध सेवा एकक)	प्रतिनिधि
14.	डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	सदस्य–सचिव

पूर्वोक्त के अलावा श्री श्याम सुंदर कथूरिया, सहायक निदेशक (राजभाषा) एवं श्री सतीश कुमार, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक भी बैठक में सहायतार्थ उपस्थित थे ।

श्री एस.सी.चक्रवर्ती, बीमा आयुक्त (राजभाषा) के दौरे पर रहने के कारण बैठक की अध्यक्षता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, बीमा आयुक्त (भर्ती) ने की । सदस्य–सचिव डॉ. पन्ना प्रसाद, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने मुख्यालय की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महोदय के साथ–साथ अन्य सदस्यों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया । तदनंतर अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश दिया ।

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त निदेशक (राजभाषा) ने दिनांक 29.11.13 को निगम मुख्यालय का राजभाषा संबंधी निरीक्षण किया था । उनके द्वारा बताई गई कमियों पर आगे की मदों में चर्चा की जाएगी । सदस्य सचिव ने सूचित किया कि यह बैठक दिसम्बर, 2013 की तिमाही के लिए है जिसमें सितंबर, 2013 के आंकड़ों की समीक्षा की जाएगी ।

मद संख्या 1	पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई की समीक्षा ।

सदस्य सचिव ने कहा कि पिछली बैठक का मसौदा कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं शाखाओं को परिचालित किया गया था । किसी भी सदस्य की ओर से कोई आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है । यदि अनुमति हो तो कार्यवृत्त की पुष्टि की जाए । सदस्यों ने सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की ।

पिछली बैठक के निर्णयों पर चर्चा करते हुए सदस्य–सचिव ने बताया कि इसमें छह प्रमुख निर्णय लिए गए थे और राजभाषा शाखा की ओर से इन सभी पर कार्रवाई की जा चुकी है । परंतु सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी प्रभाग ने एप्लिकेशन एवं मॉड्यूल में द्विभाषिकता सुनिश्चित करने के संबंध में विप्रो प्रतिनिधियों के साथ अभी तक बैठक आयोजित नहीं की है तथा बीमाकृत व्यक्तियों को जारी होने वाले पहचान कार्ड की द्विभाषिकता के संबंध में कोई कार्रवाई सूचित नहीं की गई है । तत्संबंध में अपर आयुक्त(सू.सं.प्रौ.) ने आश्वासन दिया कि सी–11, सी–18 तथा सी–19 को हिंदी में करने का प्रयास जारी है । प्रापण एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति शाखा से तिमाही हिंदी प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होनी प्रारंभ हो गई हैं । हिंदी रिपोर्ट भरने वाले कार्मिकों को दिनांक 10.10.2013 को प्रशिक्षण दिया जा चुका है । मुख्यालय की वेबसाइट के वेलकम पृष्ठ में हिंदी/अंग्रेजी की सूचना मिल रही है परंतु इसमें कुछ अनुवाद कार्य शेष है ।

मद संख्या 2	हिंदी की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा ।

सदस्य सचिव ने शाखाओं द्वारा भेजी गई तिमाही रिपोर्टों के आंकड़ों की तालिका पर चर्चा करते हुए कहा कि सितंबर तिमाही के दौरान कुल 13409 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए थे । नियमानुसार किसी भी पत्र का उत्तर अंग्रेजी में नहीं दिया गया । मुख्यालय द्वारा 'क' क्षेत्र के साथ 75%, 'ख' क्षेत्र के साथ 66% तथा 'ग' क्षेत्र के साथ 43% मूल पत्राचार हिंदी में किया गया । तिमाही के दौरान फाइलों में कुल 28535 टिप्पणियों में से 60% टिप्पणियां हिंदी में लिखी गई । परीक्षा शाखा, चिकित्सा शाखा–6, लेखा शाखा–5, लेखा शाखा–6, राजस्व–1, राजस्व–2, लोक शिकायत कक्ष एवं सूचना का अधिकार शाखा का मूल हिंदी पत्राचार 50% से कम पाया गया । अध्यक्ष महोदय ने इस पर असंतोष व्यक्त किया ।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त शाखाओं के पत्राचार में आई गिरावट पर इसके लिखित कारण जानने के लिए संबंधित शाखाओं को पत्र लिखने के लिए कहा । स्थापना–1, सामान्य शाखा, एवं लेखा शाखा–3 व 8 तथा राजभाषा शाखा का हिंदी पत्राचार 90% या अधिक पाए जाने पर अध्यक्ष महोदय ने इन शाखाओं की सराहना की ।

अध्यक्ष महोदय ने अन्य शाखाओं से अधिकाधिक पत्राचार हिंदी में करने का आग्रह किया । उन्होंने उन कर्मचारियों को भी तिमाही रिपोर्ट भरने के लिए प्रशिक्षित करने का सुझाव दिया जिन्होंने दिनांक 10.10.2013 को प्रशिक्षण नहीं लिया था ।

मद संख्या 3	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन ।

इस मद पर सदस्यों में गहन विचार–विमर्श हुआ क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति इसे अत्यंत गंभीरता से लेती है । अध्यक्ष महोदय के निदेश पर सदस्य–सचिव ने बताया कि धारा 3(3) में सामान्य आदेश, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचनाएं, निविदा सूचनाएं आदि आती हैं, जो अधिदेशात्मक हैं । इसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए । अतः हस्ताक्षरकर्ता उक्त दस्तावेज कभी भी केवल अंग्रेजी में जारी न होने दें । इस संबंध में अपर आयुक्त (सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी) ने कहा कि 'पहचान परियोजना' के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्तियों को जारी होने वाले

पहचान कार्ड की स्थायी प्रविष्टियां तथा द्वितीय चरण में मॉड्यूल और एप्लिकेशन के लेबल द्विभाषी बनाए जा सकते हैं । अध्यक्ष महोदय ने इस पर संतोष व्यक्त किया ।

मद संख्या 4	वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के संबंध में चर्चा ।

सदस्य–सचिव ने अवगत कराया कि निगम के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराने के प्रयोजन से राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम (2013–14) परिचालित कर दिया गया था । उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने अपने निरीक्षण में इस बात पर असंतोष व्यक्त किया है कि मुख्यालय में हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए अनेक कर्मचारी शेष हैं । इस पर श्री टी.टी.एम.ताराकन, संयुक्त निदेशक (स्थापना–5) ने अध्यक्ष महोदय को आश्वासन दिया कि भविष्य में अधिकाधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाएगा ।

मद संख्या 5	जांच बिन्दुओं पर कार्रवाई ।

सदस्य–सचिव ने सूचित किया कि दिनांक 5.4.2013 को मुख्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच जांच बिंदु परिचालित कर दिए गए थे । उन्होंने सभी सदस्यों से जांच बिंदु स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई का अनुरोध किया । इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ने प्रबंध सेवा एकक के सहायक निदेशक को निदेश दिया कि वे भविष्य में अपने सभी अग्रेषण पत्र हिंदी में ही भेजें । उन्होंने अन्य सदस्यों से भी अधिकाधिक डिक्टेशन हिंदी में देने का आग्रह किया ।

मद संख्या 6	क्षेत्रीय कार्यालयों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति ।

सदस्य–सचिव ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि क्षेत्रीय इकाइयों में राजभाषा नीति का बेहतर अनुपालन हो रहा है । गोवा जैसे कुछ क्षेत्रों में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत भी सराहनीय है । इसके लिए उन्हें राजभाषा विभाग पुरस्कृत भी कर रहा है । उन्होंने कहा कि निगम के विभिन्न कार्यालयों से इस समय कुल 40 विभागीय हिंदी गृह पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं । इससे कार्मिकों में हिन्दी लिखने की रुचि बढ़ी है ।

मद संख्या 7	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।

अध्यक्ष महोदय ने हिंदी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए सदस्यों को अपने सुझाव देने हेतु आमंत्रित किया ।

सदस्य सचिव ने मुख्यालय की हिंदी पत्रिका के संबंध में सूचित किया कि यह पत्रिका अन्य विभागों के साथ–साथ माननीय सांसदों को भी भेजी जाती है तथा इसकी प्रशंसा भी प्राप्त होती है । उन्होंने इसके आगामी अंक के लिए सभी से रचनाएं आमंत्रित कीं ।

अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि पत्रिका में प्रकाशित श्रेष्ठ रचनाओं को पुरस्कृत करने पर विचार किया जाए ।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक का समापन हुआ ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा)